UPGB010121152022

न्यायालयः–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 5085 सन् 2022

चांद मौहम्मद पुत्र वहीद खां प्रति उ0प्र0 सरकार।

<u>आदेश / 16.09.2022</u>

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त चांद मौहम्मद द्वारा मु0अ0सं0 273 सन् 2022 अंतर्गत धारा 379,411 भा0दं0सं0 थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा विपिन पाल ने दिनांक 03.08.2022 को समय 18:46 बजे थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह साईड इंजीनियर ए.एम.टी. बिल्डर्स प्रा0लि0 एन 1903 पुलमिरिया गार्डन स्टेट ओमीक्रोन 3 ग्रेटर नोएडा वर्तमान में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सैक्टर 25 में वाटर पाईप लाईन का कार्य कर रही है, जो कि यीडा द्वारा आवंटित हुआ है। बरसात के कारण पिछले 8–9 दिन से साईड पर कार्य नहीं हो पा रहा था। दिनांक 02.08.2022 को उसे सूचना मिली कि साईड पर पड़े डक्टाईल आयरन पाईप 250 एमएम के करीब 25 पाईप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिये गये हैं।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक नहीं बताया गया है। आवेदक / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक / अभियुक्त को बी वारण्ट पर तलब किया गया है। उसे जमानत प्रदान कर दी जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया, किन्तु स्वीकार किया गया कि सह अभियुक्त सन्दीप की जमानत दिनांक 31.08.2022 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5183 / 2022 के द्वारा इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है।

मैंने आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध चोरी व चुरायी गयी सम्पत्ति बेईमानीपूर्वक प्राप्त करने का आरोप है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 22.08.2022 से जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्त सन्दीप की जमानत दिनांक 31.08.2022 को जमानत

प्रार्थना पत्र संख्या 5183/2022 के द्वारा इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा तीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार निष्पादित किये जाने पर धारा 437(3ए) दं0प्र0सं0 में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाये।

(प्रदीप कुमार–V)
(J.O. Code-UP02175)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2022.09.15 15:15:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court